संख्या- 01 /2024/713 /002-9-6099-181-2023

प्रेषक,

कल्याण बनर्जी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-7 लखनऊः दिनांक 21 फरवरी, 2024

विषय:-"मुख्यमंत्री-ग्रीन रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम (अर्बन)"(सीएम-ग्रिड्स) योजनान्तर्गत वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

सहायक निदेशक (लेखा), अर्बन रोड़ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऐजेंसी (यूरिडा) के पत्र संख्या-12 यूरिडा-कैम्प/2023, दिनांक 21.12.2023 द्वारा शासनादेश संख्या-2134/नौ- 7-2023-03(ज)/2023, दिनांक 13.10.2023 के प्राविधानों के अनुरूप योजनान्तर्गत डी.पी.आर. बनाने व अन्य गतिविधियों के संचालन हेतु आय-व्ययक में प्राविधानित कुल धनराशि का 0.75 प्रतिशत यूरिडा के खाते में उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-2112/नौ-7-2023-03 (ज)/2023, दिनांक 13.10.2023 के प्राविधानों के अनुरूप "मुख्यमंत्री-ग्रीन रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम (अर्बन) हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि ₹50000.00 लाख का 0.75 प्रतिशत भाग अर्थात ₹3,75,00,000.00 (रूपया तीन करोड़ पचहत्तर लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये उक्त धनराशि को निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

3. स्वीकृत धनराशि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अर्बन रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट एजेन्सी (यूरिडा) के नाम से खुले खाते में स्थानान्तरित कर रखी जायेगी और योजना के दिशा-निर्देशों के अनुरूप नियमानुसार अनुमन्य कार्यों के लिए उपलब्ध करायी जायेगी :-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) अनुमन्य कार्यों /मदों हेतु स्वीकृत धनराशि से सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(2) गाइडलाइन के अनुसार नियमानुसार व्यय को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व सी.ई.ओ., यूरिडा का होगा।

(3) धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधान
शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद हेतु स्वीकृत की जा रही है उसका
में उसी कार्य/मद में किया जाय। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय वि
किया जायेगा।

(5) व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जायेगा।

(6) शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों के वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे, यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल प्रशासकीय विभाग तथा वित्त विभाग को दी जाय।

(7) शासनादेश संख्या-2112/नौ-7-2023-03 (ज)/2023, दिनांक 13.10.2023 द्वारा निर्गत योजना दिशा-निर्देशों एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-2134/नौ-7-2023- 03(ज)/2023, दिनांक 13.10.2023 के प्राविधानों के साथ समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय हेतु वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं०-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17.03.2023 की शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 3,75,00,000 (रुपये तीन करोड़ पचहत्तर लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 037 **लेखा शीर्षक** 2217058000900 सड़क सुधार हेतु व्यवस्था (मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना) **मानक मद** 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
Digitally Signed by कल्यान बनर्जी
Date: 21-02-2024 14:54:46
Reason: Approved
(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव।

संख्या- 01 /2024/713(1) /002-9-6099-181-2023, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. सी.ई.ओ., यूरिडा, लखनऊ।
3. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ, उ0प्र0।
5. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उ0प्र0, प्रयागराज।
6. वित्त (व्यय नियंत्रक) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, 2
7. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

Digitally Signed by कल्यान बनर्जी
Date: 21-02-2024 14:54:01
Reason: Approved

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2023-2024
आवंटन दिनांक-21/02/2024

प्रेषण संख्या:- 01
आवंटन आदेश संख्या:- 001-01-2024-713-002-9-6099-181-2023
अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2217 - शहरी विकास(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - अन्य शहरी विकास योजनाये
800 - अन्य व्यय
09 - सड़क सुधार हेतु व्यवस्था (मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना)

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-2877-निदेशक - स्थानीय निकाय , लखनऊ-01--	वर्तमान प्रगामी	37500000 4975000000	37500000 4975000000
	योग	वर्तमान प्रगामी	37500000 4975000000	37500000 4975000000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया तीन करोड़ पचहत्तर लाख
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया चार अरब सत्तानवे करोड़ पचास लाख

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव